न्यायालय अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट), कक्ष सं0–16, देवरिया

सत्र वाद संख्या–26/2018
मुकदमा अपराध सं0–113/2014
सरकार बनाम दिनेश्वर पाल
धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–मईल, जिला–देवरिया।

22.11.2021

पत्रावली पेश हुई। सत्र परीक्षण पुकारा गया। अभियुक्त दिनेश्वर पाल पुत्र रामजस पाल न्यायालय उपस्थित आया। राज्य की ओर से विद्वान ए0डी0जी0सी0 तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर सुना गया एवं पत्रावली का आवलोकन किया गया।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन केस का विस्तार से वर्णन किया गया एवं अभियोजन अभिलेखों को सन्दर्भित किया गया तथा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त सबूत एवं साक्ष्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली के सम्यक अवलोकन करने के पश्चात मैं इस मत का हूॅ कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाता है।

आरोप पत्र में अंकित साक्षीगण को जरिये सम्मन दिनांक–26.11.2021 के लिये तलब किया जाये। अभियोजन पक्ष इस सम्बंध में आवश्यक पैरवी करें।

(लोकेश कुमार)
विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0–16, देवरिया

दिनांक–22.11.2021

न्यायालय अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट), कक्ष सं0–16, देवरिया

सत्र वाद संख्या–26/2018
मुकदमा अपराध सं0–113/2014
सरकार बनाम दिनेश्वर पाल
धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–मईल, जिला–देवरिया।

आरोप

मैं, लोकेश कुमार अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश,(एन0डी0पी0एस0 एक्ट), कक्ष सं0–16, देवरिया, आप अभियुक्त **दिनेश्वर पाल पुत्र रामजस पाल** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

यह कि दिनांक–20.02.2014 को समय करीब शाम 05:30बजे एस0ओ0 देवेन्द्र विक्रम सिंह मय हमराहीयान पुलिस टीम द्वारा अपने देखभाल क्षेत्र थाना–मईल में मुखबिर खास की निशानदेही पर आप अभियुक्त को बहदस्थान–बरेंजी पुख्ता सड़क पर पानी की गुमटी में अवैध गांजा बेचते हुए पकड़े जाने एवं तलाशी लिये जाने के दौरान आपके कब्जे से सफेद झोले में 1किलो 200ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसको रखने के सम्बंध में आपके पास कोई प्राधिकार नहीं था। आपका उक्त कृत्य भा0दं0सं0 की **धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट** के अधीन दण्डनीय है तथा जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एततद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(लोकेश कुमार)
दिनांक–22.11.2021 विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0–16, देवरिया

अभियुक्त का प्रतिकथन–

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इन्कार किया तथा उसके द्वारा विचारण की मॉग की गयी।

(लोकेश कुमार)
दिनांक–22.11.2021 विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0–16, देवरिया

Digitally signed by Lokesh Kumar
Date: 2021.11.22 14:41:36 IST
Reason: charge order
Location: District and Sessions Court